आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 158 /2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक लि॰ क्षेत्रीय कार्यालय तृतीय तल, जे.एस.ई.एल बिल्डिंग, मालवीय नगर जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. रवि गोस्वामी पुत्र श्री बिंदालाल गोस्वामी
   पता–1. हतिखुली असम गोलघाट
   2.जे.जी.पी.जी. जी. 38, स्कीम ग्रीन गार्डन, जयपुर, विलेज झाई, भम्भोरी, चतरपुरा, ल्याया का बास, तहसील सांगानेर, अम्बाबाडी, जयपुर ।
   3. रायल ट्रेडिंग, फर्स्ट फ्लोर हतीखुली नेशनल पार्क, गोलाघाट, असम।
   4. बिन्दालाल गोस्वामी जी–38, गामा ब्लॉक, एम्पायर जयपुर, ग्रीन्स महिन्द्रा सेज रोड, महापुरा, जयपुर ।
2. सविता गोस्वामी पत्नी श्री बिंदालाल गोस्वामी
   पता–1. हतिखुली, असम, गोलघाट।
   2.गोस्वामी ट्रेडर्स वार्ड नम्बर 1, अपोजिट बी डी ओ आफिस अंडर बोकाघाट मौजा एट रोड बोकाघाट टाउन असम गोलाघाट ।
   3.गोस्वामी जी–38, गामा ब्लॉक, एम्पायर जयपुर, ग्रीन्स महिन्द्रा सेज रोड, महापुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं सहऋणी

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थितः–रीना वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 25.04.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी श्रीमती सविता गोस्वामी के स्वामित्व की सम्पत्ति जे.जी.पी.–जी.जी. 38, एट जयपुर ग्रीन्स, गामा ब्लाक विलेज झाई, भम्भोरिया एम्मार जयपुर ग्रीन्स चतरपुरा जयपुर क्षेत्रफल 376.07 वर्गमीटर को बन्धक रख कर खाता संख्या LBGUW00005391827 में दिनांक 13-10-2020 को 52,87,056/- और खाता संख्या LBJRH00005852994 में दिनांक 27-11-2021 को 1,15,00,000/- रूपये कुल राशि 1,67,87,056/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.10.2023 को रजिस्टर्ड़ नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction ofFinancial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी बैंक ने उक्त बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 1,67,87,056/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 1,66,83,224/—रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.10.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सविता गोस्वामी के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति जे.जी.पी.–जी जी. 38, एट जयपुर ग्रीन्स, गामा ब्लाक ,विलेज झाई, भम्भोरिया एम्मार जयपुर ग्रीन्स चतरपुरा जयपुर क्षेत्रफल 376.07 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

6. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 25.04..2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner